(12)

व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–23/2011–12

गणेश राउत

बनाम्

प्रभारी शाखा कार्यालय एयर सेल टावर, गोड्डा एवं अन्य

8/11/2019

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक गणेश राउत, पे0–श्री अकल राउत, सा0–मोहल्ला–शिवाजी नगर गंगटा खूर्द, गोड्डा, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–1240, रकवा–00–08–00 धुर जमीन से विपक्षी प्रभारी शाखा कार्यालय एयर सेल टावर, गोड्डा, सा0–मोहल्ला–शिवाजी नगर, गंगटा खूर्द वो प्रेमशंकर साह (एयर सेल टावर मशीन ऑपरेटर), पे0–नामालूम, सा0–मोहल्ला–शिवाजी नगर, गंगटा खूर्द वो चन्द्रशेखर महतो, पे0–स्व0 नामालूम, सा0–मोहल्ला–शिवाजी नगर, गंगटा खूर्द, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक का कथन है कि आवेदक मौजा–गंगटा खूर्द के जमाबंदी रैयत कलर राउत के पोता है तथा मौजा–गंगटा खूर्द में सपरिवार निवास करते हुए है। मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा के रैयत कलर राउत को एक पुत्र अकल राउत हुए। अकल राउत को दो पुत्र सरजु राउत एवं गणेश राउत हुए। आवेदक को मौजा–गंटा खूर्द के जमाबंदी सं0–13 के अंतर्गत दाग नं0–1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1308 एवं 1310 के अंतर्गत कुल रकवा–07–05–16 धुर जमीन पड़ता है एवं आवेदक उसपर दखलकार है। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत दाग नं0–1240, रकवा–01–12–19 धुर जमीन में से रकवा–00–08–00 धुर जमीन जो किस्म–धानी III विपक्षीगण ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन कर जबरन कब्जा कर लिया है। आवेदक ने विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी चन्द्रेश्वर प्रसाद महतो का कथन है कि आवेदक गणेश राउत का मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–1240 की जमीन से कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने सही तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के साथ धोखाबाजी किया है। क्योंकि मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में कल्लर राउत वल्द मनु राउत वो वैजू तिवारी वल्द महादेव तिवारी के नाम से दर्ज है। कल्लर राउत जाति के मारकण्डे थे और बैजू तिवारी जाति के ब्राह्मण थे, जो कि पर्चा में लिखा हुआ है। दोनों जमाबंदी रैयत का जमाबंदी सं0–13 की जमीन पर आधा–आधा हक था एवं दोनों ही अलग–अलग आबाद करते

थे। बैजू तिवारी को पुत्र–पुत्री नहीं था। सिर्फ एक बहन डोलवती थीं। डोलवती का पुत्र द्वारिका दूबे हुए। द्वारिका दूबे ने अकल राउत पर बँटवारा का मुकदमा दायर किया था, जिसमें बँटवारा का आदेश नहीं मिलने पर द्वारिका दुबे ने टाईटल अपील नं0–09/1972 दायर किया गया। प्रक्रिया के दौरान द्वारिका दूबे की मृत्यु के कारण उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण दुबे पक्षकार बने तथा उन्हें न्यायालय से आधा का डिग्री प्राप्त हुआ। टाईटल जारी नं0–02/1972 के द्वारा लक्ष्मी नारायण दुबे को आधी जमीन पर दखल दिहानी भी दिलाया गया। उस आदेश के विरूद्ध अकल राउत ने उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में सिविल रिविजन नं0–09/1993 दायर किया गया। अपील आवेदन को आदेश दिनांक–21/06/1992 के द्वारा खारिज किया गया। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत जमाबंदी के अंतर्गत दाग नं0–1240 के अंदर रकवा–00–05–10 धुर जमीन जमाबंदी रैयत बैजू तिवारी वल्द् महादेव तिवारी ने 15 दिसम्बर, 1933 ई0 को बजरिये कुर्फा रामलखन महतो, पे0–रामचन्द्र महतो, ग्राम–नया टोला पहलेजा, थाना–सोनपुर, जिला–छपरा को दे दिया था। राम लखन महतो ने उसी वक्त मकान बनाया तथा सपरिवार उस पर निवास करने लगे। राम लखन महतो की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चन्देश्वर प्रसाद महतो उस पर सपरिवार रहने लगे। चन्देश्वर प्रसाद महतो ने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना लिया है एवं सपरिवार उस मकान में रहते है। जारी बँटवारा में भी प्रश्नगत जमीन लक्ष्मी नारायण दुबे के हिस्से में आया है। आवेदक ने लक्ष्मीनारायण दूबे की हिस्से की जमीन को हड़पने के नियत से वाद दायर किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। विपक्षी ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

मध्यागन्तुक लक्ष्मी नारायण दूबे का कथन है कि मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कल्लर राउत वल्द् मनु राउत वो बैजू तिवारी वल्द् महादेव तिवारी के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत का जमाबंदी सं0–13 की जमीन पर आधा–आधा हक था। बँटवारा भी दोनों जमाबंदी रैयतों के बीच हो चुका है। टाईटल जारी नं0–09/1993 के आदेश दिनांक–15/06/1992 के बँटवारा के अनुसार दखल दिहानी भी दिलाया गया है। उनका आगे कथन है कि यह मुकदमा केवल लक्ष्मी नारायण दूबे की जमीन को हड़पने के नियत से तथा उसे बेच देने के लिए आवेदक गणेश राउत के द्वारा दायर किया है, जबकि आवेदक गणेश राउत को विपक्षी लक्ष्मी नारायण दुबे की जमीन से कोई सरोकार नहीं है। उन्होनें आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–781/रा0, दिनांक–07/06/2017 एवं पत्रांक–818/रा0, दिनांक–13/06/2017 से जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच–प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–1240 कुल खतियानी रकवा–01–12–19 धुर जमीन खतियान में कलर राउत वल्द् मनु राउत कौम–मारकन्डे वो बैजु तिवारी वल्द् महादेव तिवारी, कौम–ब्राह्मण, सा0–देह अंकित है। दोनों खतियानी रैयत के वारिशानों के बीच टाईटल अपील नं0–09/72 में निष्पादित है। उक्त वाद पुनः टाईटल

(13)

नं0–02/92 दाखिल हुआ, जिसमें अमीन से नापी कर दखल दिहानी दिलाया गया है। दाग नं0–1240 कुल खतियानी रकवा–01–12–19 धुर जमीन के अंतर्गत रकवा–00–10–00 धुर जमीन लक्ष्मी नारायण दुबे के हिस्से में है। उक्त भूमि के अंदर रकवा–00–05–10 धुर जमीन चन्देश्वर प्रसाद महतो, पे0–रामलखन महतो, सा0–गंगटा खूर्द का मकान है, जो बैजू तिवारी से कुर्फा के माध्यम से प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादगत जमीन आवेदक गणेश राउत की हिस्से की जमीन नहीं है। वादगत जमीन लक्ष्मी नारायण दुबे की हिस्से की जमीन है। लक्ष्मी नारायण दुबे के द्वारा उच्छेदी के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक गणेश राउत के आवेदन के आधार पर विपक्षी को उच्छेद करना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।